प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी,
बदायूँ, हरदोई, फर्रूखाबाद, बांदा, इलाहाबाद,
बलरामपुर, गोण्डा एवं बलिया, उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 06 सितम्बर, 2016**

विषय- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 की धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- संख्या-26/2016/ 226/अड़तीस-9-2016-06(बजट)/2015, दिनांक-12.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में विकास कार्य कराने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7560000000.00/-(रूपये सात अरब छप्पन करोड मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 3,64,87,15,958.00 (रूपये तीन अरब चौसठ करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार नौ सौ अठ्ठावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की वर्ष 2016-17 की प्रथम किश्त से विधान सभा क्षेत्रों में पूर्व वर्षों की जनपद स्तर पर अपयुक्त/अवशेष समायोजित धनराशि रू0 6,11,36,160.00 (रूपये छः करोड़ गयारह लाख छत्तीस हजार एक सौ साठ मात्र) को निम्नवत् तालिका के अनुसार अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	जनपद	विधान सभा क्षेत्र व संख्या	प्रथम किश्त की अवशेष स्वीकृत
1.	बंदायू	बिसौली, 112	75,00,000.00
2.	हरदोई	सवायजपुर, 154	18,11,100.00
3.	तदैव	शाहाबाद, 155	24,46,000.00
4.	तदैव	हरदोई, 156	75,00,000.00
5.	तदैव	गोपामऊ, 157	17,99,000.00
6.	तदैव	साण्डी, 158	2,30,000.00
7.	तदैव	बिलग्राम-मल्लावॉ, 159	75,00,000.00
8.	तदैव	बालामऊ, 160	10,51,000.00
9.	फर्रूखाबाद	कायमगंज, 192	5,66,400.00
10.	तदैव	अमृतपुर, 193	1,96,300.00
11.	तदैव,	फर्रूखाबाद, 194	75,00,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12.	तदैव	भोजपुर, 195	75,00,000.00
13.	बांदा	बबेरू, 233	75,00,000.00
14.	तदैव	बांदा, 235	10,500.00
15.	इलाहाबाद	हण्डिया, 258	75,00,000.00
16.	बलरामपुर	उतरौला, 293	67,000.00
17.	गोण्डा	मेह्नोन, 295	860.00
18.	तदैव	करनैलगंज, 298	2,000.00
19.	तदैव,	तरबगंज, 299	8.000.00
20.	तदैव,	गौरा, 301	2,000.00
21.	बलिया	रसड़ा, 358	4,46,000.00
योग-			**6,11,36,160.00**

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य पाल महोदय उपरोक्त तालिका में अंकित 21 विधान सभा क्षेत्रों के सम्मुख अंकित धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने सम्बन्धित मा0 विधान सभा सदस्य को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- शासनादेश संख्या-107/अड़तीस-9-2015-500(1)/2015, दिनांक-09 मार्च, 2015 द्वारा वांछित प्रदेश के अन्य जनपदों से रिक्तियों/अप्रयुक्त अवशेष धनराशि की सूचना पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही दूसरी किश्त निर्गत की जा सकेंगी।

(4)- यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी और इसकी सूचना शासन को तत्काल दी जायेगी।

(5)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-03-2016 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- शासनादेश संख्या-26/2016/226/अड़तीस-9-16-06(बजट)/2015, दिनांक-12.05.2016 की शेष शर्तें/व्यवस्था यथावत् रहेगी तथा शासनादेश दिनांक-12.05.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>।

भवदीय

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-46/2016/ 465 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।

4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

8- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

9- जिलाधिकारी, बदायूँ, हरदोई, फर्रूखाबाद, बांदा, इलाहाबाद, बलरामपुर, गोण्डा एवं बलिया उ0प्र0।

11- कोषाधिकारी, बदायूँ, हरदोई, फर्रूखाबाद, बांदा, इलाहाबाद, बलरामपुर, गोण्डा एवं बलिया उ0प्र0।

12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

13- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।